शासकीय महाविद्यालय डुमरिया(जरही)

जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

स्थापना– 20 मई 2013

(संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध)

विद्या ददाति विनयं

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2019–20

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय डुमरिया(जरही)

जिला–सूरजपुर(छ0ग0)

मों.नं. 7692971278

Visit: http://www.gcdj.ac.in/ Email ID- govtcollegejarhi@gmail.com

महाविद्यालय
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

''महाविद्यालय परिसर में तम्बाखू, पान, गुटखा, सिगरेट आदि पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।''

''रैगिंग कानूनी अपराध है और इसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है।''

शासकीय महविद्यालय डुमरिया (जरही)
जिला–सूरजपुर(छ०ग०)
महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

कला संकाय

1. स्नातक बी.ए.
   बी.ए. में उपलब्ध विषयः–
   अनिवार्य विषय–
   (अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)
2. वैकल्पिक विषय –
   (1) हिन्दी साहित्य (2) अंग्रेजी साहित्य 3. समाज शास्त्र. 4. अर्थशास्त्र 5. भूगोल

नोट– छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्दी तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. बी.एस–सी. (जीव विज्ञान समूह)
   बी.एस–सी. में उपलब्ध विषयः–
   1. अनिवार्य विषय–
   (अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)
   2. वैकल्पिक विषय–
   (1) वनस्पति शास्त्र, (2) जन्तुविज्ञान, (3) रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. **बी.कॉम.**

बी.कॉम. के विषय–

बी.कॉम. प्रथम वर्ष–

(1) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)
02. वित्तीय लेखांकन, 03. व्यावसायिक संचार, 04. व्यावसायिक गणित,
05. व्यावसायिक नियमन एवं ढांचा, 06. व्यावसायिक अर्थशास्त्र, 07. व्यावसायिक पर्यावरण,

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष–

(1) आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा,
02. व्यावसायिक प्रबंधन के सिद्धान्त, 03. उद्यमिता के मूल तत्व, 04. कंपनी अधिनियम
05. व्यावसायिक सांख्यिकी, 06. निगमिय लेखांकन, 07. लागत लेखांकन,

बी.कॉम. अंतिम वर्ष–

(1) आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा,
02. प्रबंधकीय लेखांकन 03. आयकर 4. अप्रत्यक्ष कर 05. अंकेक्षण
05. वैकल्पिक समूह– अ. वित्तीय ग्रुप ब. विपणन ग्रुप स. सूचना प्रौद्योगिकी ग्रुप

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध स्थान
1.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	60 + 60 + 60 (180)
2.	बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	60 + 60 + 60 (180)
3.	बी.एस–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	60 + 60 + 60 (180)

टीपः–

1. छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष के विषय ही द्वितीय व तृतीय वर्ष में लेने होंगें।
2. छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषय में प्रवेश स्थान की उपलब्धता एवं अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। स्थान न होने की दशा में छात्र/छात्राओं को इस संदर्भ में उनकी पंसद के विषय के बजाय ऐसे विषय लेने होंगें जिसमें स्थान उपलब्ध हो।
3. विषय परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है, विषय परिवर्तन सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी बिजली और पानी की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना हर सम्भव सहयोग करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
4. खेलकूद, राज्य स्तरीय प्रतिस्पार्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।
8. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

प्रवेश पात्रता –

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेगें–

1. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस–सी. प्रथम वर्ष**

(क) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर /सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष**

(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस–सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस–सी. तृतीय वर्ष**

(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

विश्वविद्यालय नामांकन – (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्रा को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, संत गहिरा गुरू विश्विद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र –

1. समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन पद्धति से होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय की छात्र शाखा में जमा किया जाना चाहिए।

विशेष :–

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Original T.C.)
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्रापत होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्ष की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची अंक सूची छात्र को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
4. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थी के लिए है जो संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था का विद्यार्थी न रहा हो)।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (Private) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।।
7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) संलग्न करें।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षो की परीक्ष संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रेवश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सगगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश–आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
10. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे।

अ. जाति प्रमाण–पत्र

ब. आय प्रमाण–पत्र

स. निवास प्रमाण–पत्र।

ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।

11. नौकरी करने वाली विद्यार्थी के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
12. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो/अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
13. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
14. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

15. प्राचार्य को पूर्ण अधिकारी है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि–

1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है।
2. छात्र/छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है।
3. छात्र/छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोषजनक हो।
4. छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है।
5. छात्र/छात्रा रैगिंग करता है।
6. अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में।
7. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार 1 महीने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

शुल्क संबंधी नियमः–

1. विद्यार्थी निर्धारित बैंक में अथवा महाविद्यालय की छात्र शाखा में फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क, नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरिक होकर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित होना चाहता है।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए।

प्रवश — शुल्क तालका

2019—20

विवरण	स्नातक कला एवं वाणिज्य (भूगोल को छोड़कर)	स्नातक विज्ञान एवं भूगोल
	शासकीय	शुल्क
शिक्षण शुल्क	118 (03)	138 (23)
	अशासकीय	शुल्क PD
अवधान राशि		
संघ प्रवेश शुल्क	60	100
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	05	05
परिचय पत्र शुल्क	15	15
महाविद्यालय विकास शुल्क	15	15
सायकल स्टैण्ड	25	25
कॉमन रूम/वाचनालय शुल्क	20	20
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	20	20
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	50	50
महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	10	10
युवा उत्सव शुल्क	25	25
जनभागीदारी शुल्क	30	30
	500	500
	अशासकीय	शुल्क, AF
महाविद्यालय छात्रसंघ शुल्क	20	20
क्रीड़ा शुल्क	22	22
सम्मिलित निधि शुल्क	05	05
स्नेह सम्मेलन शुल्क	20	20
	अशासकीय शुल्क	UNIVERSITY
चिकित्सा शुल्क	10	10
युवा गतिविधि शुल्क	25	25
ग्रंथालय शुल्क	20	20
शारीरिक शिक्षण शुल्क	150	150
योगः—	1165	1225

विशेषः— अ.ज.जा./अ.जा./छात्राओं को नियमानुसार शुल्क में छूट मिलेगी।

धरोहर राशि (अमानत राशि प्राप्त करने के नियम):–

1. धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरगर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
3. परिचय पत्र एंव मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रत्येक शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि(Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी।

छात्रवृत्तियां:–

महाविद्यालय में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध है, जो प्रत्येक सत्र में देय होगी।

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
   (मैट्रिकोत्तर एवं बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. छ0ग0 शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. छात्रवृत्ति नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना पटल पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें।
6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें।
7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का होगा।
9. बारहवीं परीक्षा पास छात्र के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगें।
10. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
11. शासन के नियमानुसार जिन छात्र–छात्राओं को छातवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशन के कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीपः– महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते है, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

पुस्तकालय / वाचनालयः–

1. पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएं पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थी को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रंथपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सकें। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा।
2. गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैंठकर ही कर सकतें हैं।

बुक बैंक योजनाः–

1. साधनहीन व निर्धन विद्यार्थीयों के लिये बुक बैंक की विशेष व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक से सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।
2. महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थीयों के लिए "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर ग्रन्थालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते है। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रयोगशालाः–

1. महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में विषयवार प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, में पृथक–पृथक प्रयोगशालायें है।

हेल्प डेस्कः–

1. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री कमलेश कुमार मार्को सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) हैं। हेल्प डेस्क में छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जायेगा–

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षा संबंधी।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी।
4. छात्रावास संबंधी।
5. कैन्टीन संबंधी।
6. ग्रंथालय संबंधी।
7. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जैसे बी.पी.एल. पोस्ट मैट्रिक एकीकृत छात्रवृत्ति, सैन्य छात्रवृत्ति इत्यादि।
8. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना।
9. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करने संबंधी।
10. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी।
11. साइकिल स्टैण्ड संबंधी।
12. रैगिंग संबंधी शिकायत।
13. प्रयोगशाला संबंधी।
14. प्रसाधन कक्ष संबंधी।
15. अध्यापन कक्षों की साफ–सफाई संबंधी।
16. एन.सी.सी./एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां।
17. कॉमन रूम संबंधी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके संयोजक श्रीमती अर्पणा एक्का, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) है।

खेलकूदः–

महाविद्यालय में वॉलीवाल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो–खो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, शतरंज आदि इंडोर–आउटडोर खेलों के खेलने की सुविधा है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें। टीम में स्थान प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास में उपस्थिति जरूरी है।

छात्र–संघः–

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ का सदस्य होता है। संघ की समसत गतिविधियों में प्रत्येक छात्र/छात्रा का सक्रिय सहयोग आपेक्षित है।

परिचय पत्रः–

प्रत्येक छात्र के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। छात्र अपना परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक छात्र को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र, ग्रंथालय कार्ड प्रतिदिन अपने साथ रखना एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

रैगिंग– निषेध

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001'' जारी किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनमें संबंधित मामलों और अनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

परिभाषा–

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

रैगिंग का प्रतिषेध–

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड : यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण– इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता–

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकारी होगा। किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसा छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

सामान्य नियम

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय मे आयेगा।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग करेगा।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय –परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।
7. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
8. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशन उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी बिजली और पानी की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना हर सम्भव सहयोग करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
4. खेलकूद, राज्य स्तरीय प्रतिस्पार्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।
8. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

संकाय सदस्य

महाविद्यालय के प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक की जानकारी

दिनांक 01.12.2020 की स्थिति में

संस्था प्रमुखः– डॉ0 आशीष तिवारी

क्र.	पद	विषय	नाम	संपर्क
1	प्राचार्य	–	रिक्त	–
2	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	डॉ0 आशीष तिवारी प्रभारी प्राचार्य	7692971278
3	सहायक प्राध्यापक	समाज शास्त्र	श्रीमती अर्पणा एक्का	7724011116
4	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	श्री कमलेश कुमार मार्को	9131736955
5	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	श्री रोहित	9399359955
अतिथि व्याख्याता				
6	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	श्री अखिलेश श्रीवास्तव	–
7	सहायक प्राध्यापक	अँग्रेजी	श्री संजय पाटील	8269589603
8	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	श्री धीरज कुमार गुप्ता	9098361115
9	सहायक प्राध्यापक	जन्तुविज्ञान	श्रीमती प्रियंका नायडू	9111305564
10	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति विज्ञान	डॉ0 रंजना सिंह	7898165517
11	सहायक प्राध्यापक	भूगोल	कु0 सिम्पल पैकरा	–

Rohit

अशैक्षणिक / कार्यालयीन सदस्य
दिनांक :– 01.12.2020 की स्थिति में

क्र.	पद	नाम	संपर्क
1	सहायक ग्रेड–1	—	
2	सहायक ग्रेड–2	विनय कुमार टोप्पो	9826834377
3	सहायक ग्रेड–3	श्री शिव प्रसाद	8120946114
4	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री अलबर्ट खलखो	7354161337
5	प्रयोगशाला परिचारक	—	—
6	भृत्य	श्री नरेन्द्र कुमार	6261393882

महाविद्यालय के विभिन्न समितियो के संयोजक तथा सदस्यों के नाम

01. **प्रवेश समिति :–**

कला संकाय

1. अर्पणा एक्का – संयोजक
2. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य
3. श्री रोहित – सदस्य

वाणिज्य संकाय :–

1. श्री रोहित – संयोजक
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

विज्ञान संकाय :–

1. श्री कमलेश कुमार मार्को – संयोजक
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री रोहित – सदस्य

02. **अनुशासन व रैगिंग प्रतिरोध समिति :–**

1. श्री रोहित – संयोजक
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

03. **क्रय समिति:–**

1. अर्पणा एक्का – संयोजक
2. श्री रोहित – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य
4. विनय कुमार टोप्पो – सदस्य

04. **छात्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ:–**

1. श्री रोहित – संयोजक
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

05. **खेलकूद गतिविधि:–**

1. श्री कमलेश कुमार मार्को – संयोजक
2. अर्पणा एक्का – सदस्य

06. **ग्रंथालय:–**

1. श्री रोहित – प्रभारी

07. **छात्रसंघ युवागतिविधियाँ:–**

1. अर्पणा एक्का – प्रभारी

08. **रूसा:–**

1. श्री रोहित – प्रभारी
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

09. **जनभागीदारी समिति :–**

1. अर्पणा एक्का – सदस्य
2. श्री रोहित – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

10. **अतिथि व्याख्याता नियुक्ति हेतु दस्तावेज सूक्ष्म जॉच समिति :–**

1. अर्पणा एक्का – संयोजक
2. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य
3. श्री रोहित – सदस्य

11. **सूचना एवं लोकसेवा गारंटी समिति :–**

1. श्री रोहित – प्रभारी

12. **सांस्कृतिक एवं जनसंपर्क :–**

1. अर्पणा एक्का – प्रभारी

13. **ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (AISHE) एवं विद्यार्थी जीवन चक्र प्रबंधन (SLCM) :–**

1. अर्पणा एक्का – प्रभारी

14. **IQAC CELL (Internal Quality Assurance Cell) :-**

1. श्री रोहित – प्रभारी
2. अर्पणा एक्का – सदस्य
3. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

15. **कैरियर गाइडेंस सेल :–**

1. श्री रोहित
2. श्री कमलेश कुमार मार्को
3. अर्पणा एक्का

16. **छात्रवृत्ति :–**

1. श्री कमलेश कुमार मार्को – प्रभारी
2. अर्पणा एक्का – सदस्य

17. **महिला सैल :–**

1. अर्पणा एक्का

18. **NAAC प्रभारी :–**

1. श्री रोहित – प्रभारी
2. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य

19. परीक्षा प्रभारी :–

1. अर्पणा एक्का – संयोजक
2. श्री कमलेश कुमार मार्को – सदस्य
3. श्री रोहित – सदस्य